



न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), कौशाम्बी ।

उपस्थित- अभिषेक गुप्ता (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या :- 706 / 2006

सी.एन.आर. सं० UPKS060004942009

1. भानुप्रताप सिंह पुत्र स्व० शम्भूदयाल ।

निवासी- ग्राम भगवतपुर, परगना- अथर्वन, तहसील- मँझनपुर, जनपद कौशाम्बी ।

.....वादी

बनाम

1. राम आसरेउम्र 80 वर्ष पुत्र वासदेव ।

2. छोटेलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र वासदेव ।

3. कमलेश पुत्र उम्र 35 वर्ष पुत्र राम आसरे ।

4. रमेश उम्र 30 वर्ष पुत्र राम आसरे ।

समस्त निवासीगण, ग्राम- चंदराई, पैकोरा, परगना – अथर्वन, तहसील- मँझनपुर, जनपद कौशाम्बी ।

..... प्रतिवादीगण

:-निर्णय:-

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 720 / 2006 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है ।

2. वादपत्र में किये गये अभिकथन संक्षेपतः इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादी की पुश्तैनी संपत्ति है तथा वरासान प्राप्त हुई है तदनुसार वादी अन्य लिखित खातेदारान के साथ अपने हक व हिस्सानुसार बतौर असल मालिक काबिज दखील चला आ रहा है । विवादित भूमि को वादी समय-समय में मौजा चांदेराई आकर देखभाल करता चला आ रहा है । वादी चूंकि भगवतपुर का रहने वाला है एवं मूल निवासी है तथा विवादित भूमि की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा है । मौजा चांदेराई, परगना अथर्वन, तहसील – मँझनपुर, जनपद – कौशाम्बी में चकबंदी हो चुकी है तथा विवादित भूमि वक्त चकबंदी अचक हो गई थी इसलिए विवादित भूमि अन्य लिखित खातेदारान का खाताबाँट नहीं हो सका था एवं मुस्तरकन रही चली आ रही थी । विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कभी कोई वास्ता व सरोकार व कब्जा दखल नहीं रहा है । प्रतिवादीगण विवादित भूमि को जबरन गैर कानूनी ढंग से हड़पना चाहते है और इसके बावत वादी को धमकी देते चले आ रहे है । दिनांक 27.11.2006 को प्रतिवादीगण जबरन विवादित भूमि पर निर्माण करने की गरज से नींव खोदना शुरू किया जिस पर वादी को मालूम होने पर मौके पे आकर प्रतिवादीगण को बेजा कार्यवाही के लिए मना किया जिसपर प्रतिवादीगण काफी आमादा फसाद हुए किन्तु वादी व गाँववालों के उचित बीच बचाव

करने पर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादे में सफल नहीं रहे किन्तु जब जाने लगे तो वादी को धमकी दिए कि वे विवादित भूमि में जबरन आकर नींव खोद देंगे। अतः उक्त अभिकथन के आधार पर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा मना कर दिया जाये कि विवादित भूमि में न तो जबरन कब्जा करके कोई नव निर्माण करें और न ही उसकी नवैयत बदले और न ही वादी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करें।

3. प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से लिखित कथन 21 क / 1 से 21 क / 3 प्रस्तुत कर वादपत्र के कुछ तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये शेष तथ्यों से इन्कार किया गया है व संक्षेपतः कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के कई सह भूमिधर है जिन्हें वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है और स्वयं को सम्पूर्ण आराजी का भूमिधर बताकर वाद दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 राम आसरे वादग्रस्त भूमि के सह-भूमिधर हरिवंश प्रसाद पुत्र गंगा सहाय के हिस्से की भूमि पर बने उनके मकान / खण्डहर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1984 क्रय करके उस पर मकान बना कर सपरिवार निरन्तर काबिज व दखील चला आ रहा है। हरवंश पुत्र गंगा सराय ने दिनांक 23. 02.1984 को प्रतिवादी सं0 1 रामआसरे के पक्ष में अपने एक किता खण्डहर का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित करके उसे कब्जा दखल दे दिया था। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 मकान निर्माण करके काबिज दखील हो सपरिवार आबाद चले आ रहे है। कथित दिनांक अथवा किसी अन्य दिन वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही वादी को वाद दाखिल करने का कोई विधिक अधिकार हासिल है। अतः उक्त अभिकथन के आधार पर वादी का वाद सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

विवाद्यक

4. उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 10.09.2009 को निम्नलिखित वाद-बिन्दु विरचित किये गये –
1. क्या वादी विवादित भूमि का बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील है?
 2. क्या दावा वादी न्यून मूल्यांकित है एवं अदा किया न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
 3. क्या दावा वादी पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन से दूषित है ?
 4. क्या प्रतिवादी संख्या 1 राम आसरे वादग्रस्त भूमि के सह-भूमिधर हरिवंश प्रसाद से जरिए रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1984 उनके हिस्से की भूमि क्रय करके उस पर मकान बनाकर परिवार आबाद है ?
 5. क्या दावा वादी 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?
 6. क्या दावा वादी 3 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?
 7. क्या दावा धारा 34, 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?
 8. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

5. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 9 ग खतौनी फ़सली वर्ष 1409-1414 की सत्य प्रतिलिपि, कागज संख्या 10 ग खसरा फ़सली वर्ष 1414 दाखिल किया गया है ।
6. वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी० डब्लू० 1 भानुप्रताप सिंह, पी० डब्लू० 2 समई व पी० डब्लू० 3 अब्बास अली को परीक्षित कराया गया है ।
07. प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 22 ग / 5 लगायत 22 ग / 7 बैनामा दिनांकित 23.02.1994 की छायाप्रति, कागज संख्या 22 ग / 4 खतौनी फ़सली वर्ष 1415-1420 की सत्य प्रतिलिपि, कागज संख्या 31 ग / 1 लगायत 31 ग / 3 आख्या अधिवक्ता आयुक्त दाखिल किया गया है ।
08. प्रतिवादीगण के द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० 1 राम आसरे को परीक्षित कराया गया है ।
09. मैंने वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

-:निष्कर्ष:-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1:-

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय के साथ विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि का बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील है?

उक्त वाद बिंदु को साबित किए जाने के अनुक्रम में वादी द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि वादी की पुश्तैनी संपत्ति है तथा वरासान प्राप्त हुई है तदनुसार वादी अन्य लिखित खातेदारान के साथ अपने हक व हिस्सानुसार बतौर असल मालिक काबिज दखील चला आ रहा है । विवादित भूमि को वादी समय-समय में मौजा चांदेराई आकर देखभाल करता चला आ रहा है । वादी ने यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को जबरन गैर कानूनी ढंग से हड़पना चाहते हैं और इसके बावत वादी को धमकी देते चले आ रहे हैं ।

जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के कई सह भूमिधर हैं जिन्हें वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है और स्वयं को सम्पूर्ण आराजी का भूमिधर बताकर वाद दाखिल किया गया है । प्रतिवादी सं० 1 राम आसरे वादग्रस्त भूमि के सह-भूमिधर हरिवंश प्रसाद पुत्र गंगा सहाय के हिस्से की भूमि पर बने उनके मकान / खण्डहर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1984 क्रय करके उस पर मकान बना कर सपरिवार निरन्तर काबिज व दखील चला आ रहा है ।

इस प्रकार उभय पक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या वादी स्वयं द्वारा बताई गई भूमि का मालिक व काबिज है ? उक्त के संबंध में वादी द्वारा कागज संख्या 9 ग खतौनी फ़सली

वर्ष 1409-1414 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 615 मि० रकबा 0.0520 के बावत वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण के द्वारा भी कागज संख्या 22ग / 5 लगायत 22 ग / 7 प्रस्तुत किया गया है जो कि पंजीकृत बैनामा दिनांकित 23.02.1998 की छायाप्रति है के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विक्रेता हरिबंश प्रसाद पुत्र गंगा सहाय सिंह के द्वारा 900/- रुपये प्रतिफल के एवज में क्रेता राम आसरे को बैनामा किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कागज संख्या 22 ग / 4 खतौनी भी दाखिल की गई है जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त बैनामा के विक्रेता हरबंश का नाम विवादित भूमि 615 मि० के बावत बतौर खातेदार नाम दर्ज है।

उक्त समस्त दस्तावेजों व तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के अतिरिक्त कई अन्य खातेदार भी है जिन्हें वादी ने प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि विवादित आराजी एक मिनजुमला आराजी है जिसके संबंध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं गया है जिससे यह प्रकट हो कि विवादित भूमि का विभाजन / सीमांकन हुआ है।

हबीबुल्लाह बनाम मो० यासीन 1997 (88) आर० डी० 7, के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मिनजुमला नम्बरों का मौके पर कोई चिह्न नहीं होता न ही मौके पर उनका कोई स्पष्ट विभाजन होता है। इसलिए जब तक वास्तव में मिनजुमला नंबरों का विभाजन नहीं हो जाता, यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि विवादित भूमि कहाँ स्थित है।

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय **श्रीमती कमलावती बनाम देवी प्रसाद आदि द्वितीय अपील सं – 21 / 2004,** में **हबीबुल्लाह बनाम मो० यासीन 1997 (88) आर० डी० 7** के मामले में की गई प्रतिपादना के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक वास्तव में मिनजुमला नंबरों का विभाजन नहीं हो जाता, यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि विवादित भूमि कहाँ स्थित है ऐसी दशा में समुचित कार्यवाही विभाजन की है, व्यादेश की नहीं। माननीय न्यायालय के अभिनिर्धारण के सुसंगत अंश को शब्दशः उल्लिखित करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है –

“Once it is held that no partition took place by metes and bounds, then, the only option for the plaintiff-appellant was to sue for partition, and a suit for injunction along with other reliefs, but in the absence of partition was not maintainable under Section 41 (h) of the Specific Relief Act, 1963, as the rights of the plaintiff/appellant are fully protected in the partition suit.”

इसी अनुक्रम में मौखिक साक्ष्य का भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसमें साक्षी पी0 डब्लू0 1 भानु प्रताप सिंह के बयान का उल्लेख किया जाना समीचीन है। उक्त साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि –

“ आराजी संख्या 615 मिनजुमला नंबर है। 615 में मेरे अलावा और लोगों का नाम भी बतौर भूमिधर दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में हरवंश का हक हिस्सा है। मेरे पिता तीन भाई थे जिनका नाम हरवंश सिंह, सुंदर लाल सिंह व शम्भू दयाल सिंह है। वादग्रस्त भूमि में मेरे पिता का 1/3 हिस्सा है। हरवंश ने प्रतिवादी राम आसरे को जमीन बेचा है राम आसरे ने इस जमीन पर झोपड़ी डाल रखी है।”

उक्त साक्षी के कथानुसार, विवादित आराजी के बावत वादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रतिवादी राम आसरे काबिज दाखिल है। विवादित भूमि एक मिनजुमला नंबर है जिसका कोई विधिक विभाजन / सीमांकन नहीं हुआ है। इस प्रकार वादी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वह विवादित सम्पत्ति का एकल स्वामी है और वह विधिक एवं स्थिर रूप से उक्त सम्पत्ति पर आध्यासित है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन व न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?

वाद बिन्दु संख्या 2 का निस्तारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 05.12.2009 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन से दूषित है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध कागज संख्या 9 ग खतौनी का अवलोकन किया गया जिसमें वादी के अतिरिक्त कई अन्य खातेदार उल्लिखित हैं जिन्हें वादी ने प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि मामले के सम्यक निस्तारण किए जाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि वादी का दावा पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है। तदनुसार यह वाद बिन्दु वादी के विरुद्ध सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 राम आसरे वादग्रस्त भूमि के सह-भूमिधर हरिवंश प्रसाद से जरिए रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1984 उनके हिस्से की भूमि क्रय करके उस पर मकान बनाकर परिवार आबाद है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिदावा नहीं किया गया है । जहां तक विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 राम आसरे का रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांकित 23.02.1984 के द्वारा भूमि के क्रय करके परिवार सहित आबाद होने का प्रश्न है इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा कागज संख्या 22 ग / 5 लगायत 22 ग / 7 दस्तावेज बैनामा की छायाप्रति है । विधितः स्थापित सिद्धांत है कि छायाप्रतियाँ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती हैं जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विधिक दृष्टांत **अशोक दुलीचंद बनाम मदहवालाल, AIR 1975 SC 1748**, अवधारित किया गया है ।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बतुलन बेगम बनाम किशनलाल, 1997 A.L.R. (3) पेज 447** के मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिलेखों की छायाप्रति साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है । चाहे कितनी भी मात्रा में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाए छायाप्रति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य उल्लेखनीय है यद्यपि इस तथ्य को मान भी लिया जाये कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बैनामा हरवंश द्वारा बैनामा किया गया है, परंतु खतौनी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम खतौनी में दर्ज नहीं है और न ही राम आसरे (जिसके पक्ष में बैनामा किया गया है) का नाम खतौनी में दर्ज है और न ही प्रतिवादीगण ने उक्त के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट किया है। इस प्रकार तदनुसार यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है ।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या दावा वादी 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस वाद बिंदु पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है । तदनुसार यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है ।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 6:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या दावा वादी 3 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस वाद बिंदु पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है । तदनुसार यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है ।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 7:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या दावा धारा 34, 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादी द्वारा इस वाद बिंदु पर अधिक बल नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि किस प्रकार वादी का वाद धारा 34, 38, 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों से बाधित है । तदनुसार यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है ।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 8:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा याचित अनुतोष यह है कि जरिये स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को मना कर दे कि विवादित भूमि पर के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में अवैध हस्तक्षेप न करें । इस संबंध में वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जा चुका है । उक्त अनुतोष के अतिरिक्त वादी ने अन्य किसी अनुतोष की और न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है । तदनुसार यह वाद बिन्दु वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है ।

-:आदेश:-

वादी का वाद खारिज किया जाता है । पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक 11.11.2022

अभिषेक गुप्ता
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)
कौशाम्बी ।

J.O. CODE - UP3254

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांक 11.11.2022

अभिषेक गुप्ता
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)
कौशाम्बी ।

J.O. CODE - UP3254